

पत्रावली पेश हुई व कुलाय पक्षकार उपस्थित  
बहुत समयपक्ष जानतेम जुनी आई प्रकण  
में विवाहित आवंश आदेशा कृषिभूमि  
आवंश नियम 1970 से संबंध नही लेक  
राजकीय प्रयोजनार्थ (कार्यालय भवनी लेक)  
प्रचलित आवंश नियम 1983 के तहत  
प्रशासन बांवी के संग अधियान 2013 के  
द्वारा जारी किया गया था। जिसके विरुद्ध  
तानुत प्रार्थना पत्र कन्तगीर नियम 14(4)  
एवं नामान्तकरण कमील प्रचलित निधियों  
के तहत इस प्रकार इस त्तर पर अवकाधिकार  
एवं क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर मैन्टैबल नही  
होने से कमील कमीलार्थिण खारीज  
की जाती है। पत्रावली के तहत शुभारंभ  
कम से कम ही।

  
जिला कलेक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)